UPGK010021482026

**न्यायालय सत्र न्यायाधीश,गोरखपुर।**
प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–937/2026
संजीव कुशवाहा पुत्र स्व0 बृजकिशोर कुशवाहा,
निवासी–बहोरवा, थाना खामपार, जिला देवरिया। .....आवेदक/अभियुक्त,

**प्रति**

उत्तर प्रदेश राज्य .....प्रतिपक्षी,

मु0 अपराध संख्या–126/2026
धारा–111(2)(बी), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व
धारा–3/21 अनियमित जमा योजना प्रतिषेध अधिनियम 2019
थाना–रामगढ़ताल, जनपद–गोरखपुर।

**आदेश**

नियमित जमानत का यह प्रार्थना–पत्र आवेदक/अभियुक्त संजीव कुशवाहा, जो मु0 अपराध संख्या–126/2026 धारा–111(2)(बी), 318(4), 61(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा–3/21 अनियमित जमा योजना प्रतिषेध अधिनियम 2019, थाना–रामगढ़ताल, जनपद–गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

**2–** अभियोजन के कथनानुसार वादी मुकदमा उ0नि0 आशुतोष कुमार राय द्वारा दिनांक 02.03.2026 को समय 3.04 बजे, थाना रामगढ़ताल, जनपद गोरखपुर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि–

''आज दिनांक 01.01.2026 को मैं उ०नि० आशुतोष कुमार राय चौकी आजाद चौक पर मौजूद या कि दोपहर 14.30 बजे के करीब मुखबिर खास उपस्थित आकर सूचना दिया कि साहब कुछ लोग कृष्णा होटल के हम 20.315 में क्रिप्टो और बिटक्वाइन में रुपया इन्वेस्ट करने पर अधिक लाभ मिलने का झांसा देकर लोगों को बुलाया है। वह व्यक्ति कई सैकड़ों लोगों का रुपया ले चुका है और आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। वह लोगों को झांसे में लेकर धोखे से रूपया लेकर आर्थिक लाभ लेने के लिए संगठित रुप से गिरोह चला रहा हैं। यदि आपने जल्दी नहीं किया तो वह और लोगों को भी झांसे में लेकर रुपया हड़प लेगा। इस सूचना पर मैं उ०नि० आशुतोष कुमार राय मय हमराह उ०नि० उपेन्द्र कुमार निर्मल, हे0का0 हृदयेश सिंह व का० बृजेश चौहान के चौकी आजाद चौक से प्रस्थान कर होटल कृष्णा पैलेस तारामण्डल पहुंचा तो होटल रिशेप्सन पर गणेश शुक्ला मौजूद मिले, जिनसे रुम नं0 315 में चलने के लिए कहा। मैं उ0नि0 मय हमराहियान व रिशेप्सनिस्ट के रुम नं0 315 पहुंचा और दरवाजा खोलवाया तो एक व्यक्ति दरवाजा खोला तो हम पुलिस वाले मय रिशेप्सनिस्ट रुम नं0 315 के अन्दर पहुंचे तो देखा एक व्यक्ति सफेद शर्ट पहने हुए होटल रुम की दिवाल पर चस्पा कागज पर कुछ लिखकर अन्य व्यक्तियों को इन्वेस्टमेन्ट के विषय में समझा रहा था। समझाने वाले व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम संजीव कुमार कुशवाहा पुत्र स्व० बृज किशोर कुशवाहा निवासी ग्राम बहोरवा थाना खामपार जिला देवरिया (उम्र 36 वर्ष) बता रहा है। रूम में मौजूद लोगों से आने का कारण पूछा तो बताये कि बिटक्वाइन में इन्वेस्ट करने के लिए वेबिनार आयोजित किया गया था जिसमें सम्मिलित होने के लिए हम लोगों को बुलाया था। वहां मौजूद लोगों से पूछा कि आपको किसने बुलाया था तो वहां मौजूद कुछ लोगों ने एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बताया कि इनका नाम अंकित श्रीवास्तव पुत्र संजय श्रीवास्तव निवासी ग्राम बन्सहिया थाना गौरी बाजार जिला देवरिया (उम्र 29 वर्ष) और हम लोगों को संजीव कुशवाहा और अंकित श्रीवास्तव ने ही बुलाया था। अंकित श्रीवास्तव ने कहा था कि एक अच्छी स्कीम आयी है, और जितना जल्दी आप लोग रुपया लगायेंगे उतना अधिक लाभ होगा। होटल रूम में संजीव कुशवाहा का एक लैपटाप भी है। प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत

पूछताछ हेतु संजीव कुशवाहा एवं अंकित श्रीवास्तव को थाना रामगढ़ताल चलने के लिए कहा तो चलने को तैयार हैं। इस पर मैं उ0नि0 मय हमराहियान एवं संजीव कुशवाहा एवं अंकित श्रीवास्तव के होटल कृष्णा पैलेस से मय लैपटाप के प्रस्थान कर अन्य लोगों को थाने पहुंचने के लिए बताते हुए थाना रामगढ़ताल आया तो उनके साथ रुम में मौजूद दो लोग मनोज दीक्षित पुत्र राम नारायण दीक्षित निवासी दीक्षित पकड़ी थाना बैकुन्ठपुर जिला गोपालगंज बिहार एवं श्रवण कुमार पुत्र कान्ता प्रसाद निवासी सीधारी पूर्वी थाना सिधारी जिला आजमगढ़ भी पीछे पीछे थाने पर आ गये। थाने लाये गये संजीव कुशवाहा एवं अंकित श्रीवास्तव से पूछताछ किया तो कुछ बता नहीं रहे है और टाल मटोल कर रहे हैं। काफी देर तक पूछताछ करने के बाद संजीव कुशवाहा एवं अंकित श्रीवास्तव ने बताया कि हम लोगों ने क्रिप्टों एवं बिटक्वाइन में इन्वेस्टमेन्ट का तरीका बताते हुए अधिक लाभ मिलने की बात बताकर लोगों को अधिक से अधिक रुपया लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बुलाया था। अभी वेबिनार शुरु ही हुआ था आप लोग आ गये। संजीव कुशवाहा एवं अंकित श्रीवास्तव से वेबिनार आयोजित करने एवं इन्वेस्टमेन्ट कराने सम्बन्धी पंजीयन आदि के कागजात मांगे गये तो दिखाने से कासिर रहे। उनके साथ थाने पर आये मनोज दीक्षित एवं श्रवण कुमार से पूछतात किया तो मनोज दीक्षित ने बताया कि मैं गोपालगंज में डेयरी का काम करता हूॅ। इससे पहले मैने मुम्बई की एक कम्पनी में रुपया लगाया था वहीं मेरी मुलाकात मंजीव कुशवाहा में हुई थी। उस कम्पनी में मेरा रुपया फंस गया। कुछ दिनों बाद संजीव कुशवाहा मिले तो मैंने उनसे अपना रूपया निकलवाने की बात कही तो उन्होंने निकलवाने का आश्वासन दिया और गोरखपुर बुलाया। इसी क्रम में मैं आज गौरखपुर आया था जहां वह बिटक्वाइन से सम्बन्धित अपनी एक स्कीम के बारे में बता रहे थे जबकि Bitcoin नाम पर कितने स्कैम भारत में हो रहे हैं। यह स्कीम भी मुझे फ्राड लग रही थी। इसकी शिकायत हम लोग खुद ही करते कि उससे पहले आप लोग आ गये। दूसरे व्यक्ति श्रवण कुमार से पूछताछ किया तो बता रहे हैं कि मैं आयुर्वेदिक दवाओं का काम करता हूं जिसके सम्बन्ध में मेरी मुलाकात अंकित श्रीवास्तव से हुई थी और धीरे–धीरे पहचान हो गई। अंकित ने कहा कि उसके एक मित्र संजीव कुशवाहा है जो Bitcoin में रुपया लगाते हैं और उनके पास बहुत अच्छा स्कीम है जिससे हम लोगों के पास बहुत जल्दी ढेर सारा रुपया होगा। मुझे पहले से ही पता है कि Bitcoin के नाम पर कितने स्कैम भारत में हो रहे हैं। यह स्कीम भी मुझे फ्राड लग रही थी। यह लोग सीधे–साधे लोगों को अधिक रुपये का लालच देकर धोखे से रुपया ले लेते हैं और रुपये ऐंठने के बाद गायब हो जाते हैं। इसकी शिकायत हम लोग खुद ही करते कि उससे पहले आप लोग आ गये। मुझ उ0नि0 द्वारा संजीव कुशवाहा के साथ लाये गये लैपटाप को चेक किया गया तो उसमें कुछ फोटोग्राफ मिले और CROSA CREATIVE AND CONCEPT नामक फर्म में रुपये भेजने के स्क्रीनशाट हैं। लैपटाप से इन्वेस्टमेन्ट कराने सम्बन्धी फोटोग्राफ की अपने मोबाइल से फोटो लेकर उसका रंगीन प्रिन्ट आउट निकलवाया गया। पकड़े गये व्यक्तियों संजीव कुशवाहा एवं अंकित श्रीवास्तव द्वारा लोगों को धोखे में रखकर आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए स्वयं तथा अपने सहयोगियों के साथ आपराधिक षड़यंत्र करते हुए अविनियमित निक्षेप स्कीमें चलायी जा रही थी। संजीव कुशवाहा एवं अंकित श्रीवास्तव को समय 23.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।''

**3–** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने कोई अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से बिना किसी स्पष्टीकरण के दर्ज कराया गया है। होटल के रूम नं0 315 में लोगों की संख्या कितनी थी यह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। कमरे में मौजूद दीवाल पर चस्पा कागज, जिस पर कुछ लिखकर अन्य व्यक्तियों को इन्वेस्टमेण्ट के विषय में समझाया जा रहा था, की बरामदगी न होना, यह प्रथम दृष्टया सिद्ध करता है कि आवेदक द्वारा बिटक्वाईन के सम्बन्ध में कोई प्रचार नहीं किया जा रहा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में धारा–111 भारतीय न्याय संहिता के आवश्यक तत्वों का अभाव है। आवेदक प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 02.03.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतएव उपरोक्त समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

**4–** अभियोजन पक्ष की तरफ से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए तर्क किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह अभियुक्त के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र कर क्रिप्टों एवं बिटक्वाईन में इन्वेस्टमेण्ट करने पर

अधिक लाभ मिलने का झांसा देकर लोगों को होटल में बुलाया गया और उन्हें झांसे में लेकर क्रिप्टों एवं बिटक्वाईन में इन्वेस्टमेण्ट करने के लिये समझाया जा रहा था। आवेदक/अभियुक्त का लोगों को झांसे में लेकर धोखे से रूपया लेकर आर्थिक लाभ लेने के लिये संगठित रूप से गिरोह चलाया जा रहा है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। तद्नुसार उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

**5–** मैंने आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

**6–** प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि आवेदक/अभियुक्त प्राथमिकी में नामित है। केस डायरी के अवलोकन से विदित होता है कि दौरान विवेचना विवेचक ने वादी मुकदमा व अन्य गवाहान गणेश शुक्ला, मनोज दीक्षित, श्रवण कुमार, पीड़ित निवेशक आलोक पाण्डेय व मनोज चौरसिया का बयान अन्तर्गत धारा–180 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अंकित किया गया है जिसमें उन्होनें प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित तथ्यों का समर्थन करते हुए आवेदक/अभियुक्त की घटना में संलिप्तता के बावत स्पष्ट रूप से कथन किया है। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचना अभी लम्बित है तथा साक्ष्य संग्रह की कार्यवाही शेष है। आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत तर्क एवम् बचाव में अभिकथित तथ्य साक्ष्य एवम् विचारण का विषय है।

**7–** अतएव मामले के गुण–दोष पर अपनी कोई राय व्यक्त किये बिना, इस मामले के सम्पूर्ण तथ्य, परिस्थितियों, अपराध की गम्भीरता तथा आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने योग्य नहीं है।

**8–** निष्कर्षतः आवेदक/अभियुक्त संजीव कुशवाहा की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

**(राज कुमार सिंह)**
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O.No-1889

दिनांक–13.03.2026

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.13 16:21:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court